राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2355/2023

प्रेम कुमारी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री कपिल देव जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2023
आदेश की दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2020 में सीधी भर्ती के माध्यम से नर्सिंग अधिकारी के पद पर जेएलएन अस्पताल, अजमेर में की गई। जहां अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या–2 के आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में स्थानान्तरित कर दिया और स्थानान्तरण आदेश के अनुसरण में जेएलएन अस्पताल, अजमेर के प्रिंसिपल एवं नियंत्रक को आदेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा स्थानान्तरण कर दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 05.08.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–3 एवं 4)। सुमन देवी द्वारा दायर अपील संख्या 218/2022 में माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश के कारण सरकारी नौकरी में शामिल हो गई। प्रत्यर्थी संख्या–3 ने पत्र दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–5) के माध्यम से अपीलार्थी को अधिशेष माना जाए या नहीं, इसके संबंध में प्रत्यर्थी संख्या–2 से दिशा–निर्देश मांगे गए। अपीलार्थी ने दिनांक 15.03.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.08.2022 के द्वारा सुमन कुमारी के स्थान पर राजकीय जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना में हुआ था। सुमन कुमारी ने निदेशालय के आदेश के खिलाफ माननीय अधिकरण से कोर्ट स्टे ले लेकर पुनः राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना में कार्यग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से अपीलार्थी का पिछले सात माह से वेतन नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना में नर्सिंग ऑफिसर का 01 पद रिक्त चल रहा है, जिससे अपीलार्थी का वेतन आहरण करते हुए उसी रिक्त पद पर समायोजन किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या–3 के पत्र दिनांक 16.03.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 से अपीलार्थी के वेतन के संबंध में दिशा–निर्देश मांगे गए। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने आदेश दिनांक 20.06.2023 (अनुलग्नक–8) के जरिये उन सभी कर्मचारियों को राहत देने का निर्देश जारी किया, जो प्रत्यर्थी संख्या–2 के कार्यालय में शामिल होने के लिए अधिशेष है। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने आदेश दिनांक 23.06.2023 (अनुलग्नक–9) के माध्यम से सभी नियंत्रण अधिकारियों को अधिशेष मंत्रालयिक कर्मचारियों के संबंध में फिर से निर्देश जारी कर अधिशेष कर्मचारियों को एपीओ के तहत कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और उन्हें पदोन्नति/सेवानिवृत्ति पर रिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या–2 ने 2 पद रिक्त होने के बावजूद रिक्त पद पर समायोजन किए बिना अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या–3 के आदेश दिनांक 23.06.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर दिया तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 ने आदेश दिनांक 17.07.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को समायोजित किए बिना स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के दौरान उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनड, जिला दौसा पदस्थापन कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.06.2023 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 17.07.2023 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे तथा वर्तमान पदस्थापन स्थान से ही नियमित वेतन दिया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक

को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य